राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय
होटल घूमर परिसर, हाईकोर्ट रोड़, जोधपुर

दूरभाश न. :- 0291-2545083 - trcjod291@gmail.com

क्रमांकः प.स्वा.के./लेखा/जो./2018/ 1137 दिनांकः 18/6/18

विज्ञप्ति

पर्यटक स्वागत केन्द्र, जोधपुर में साईज 11X14 वर्गफीट का भवन प्रतिमाह की दर से किराये पर दिया जाना है। यह स्थान केवल ट्रेवल्स एजेन्सी के कार्य हेतु ही दिया जायेगा।

इससे संबंधित फर्म दिनांक 28.06.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में मय धरोहर राशि रूपये 2550/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट **DEPUTY DIRECTOR, TOURIST RECEPTION CENTRE, JODHPUR** कर्ता के नाम से होनी चाहिये।

शर्ते :- निविदा की विस्तृत शर्ते इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

उप निदेशक
पर्यटक स्वागत केन्द्र,
जोधपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय
होटल घूमर परिसर, हाईकोर्ट रोड़, जोधपुर
दूरभाश न. :– 0291-2545083 - trcjod291@gmail.com

पर्यटक स्वागत केन्द्र, जोधपुर में साईज 11x14 वर्गफीट का भवन प्रतिमाह की दर से किराये पर दिया जाना है। यह स्थान केवल ट्रेवल्स एजेन्सी के कार्य हेतु ही दिया जायेगा किराये पर किये जाने की निविदा सूचना कमांक:प.स्वा.के./लेखा./जो./2018/1137 दिनांक 18.06.2018 के कम में ।

1.	निविदा विकय करने की तिथि	दिनांक 19.06.2018 से 28.06.2018 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से 02.00 बजे तक कार्यालय पर्यटक स्वागत केन्द्र, जोधपुर ।
2.	निविदा विभाग में प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 28.06.2018 को 3.00 बजे तक पर्यटक स्वागत केन्द्र, जोधपुर ।
3.	निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 28.06.2018 को 4.00 बजे तक पर्यटक स्वागत केन्द्र, जोधपुर में ।
4.	निविदा शुल्क	रूपये 200/–
5.	धरोहर राशि (डी.डी.)	रूपये 2550/–
6.	निविदा दाता का नाम व पता मो. न.	
7.	किराया प्रतिमाह राशि रूपये में	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय
होटल घूमर परिसर, हाईकोर्ट रोड़, जोधपुर

दूरभाश न. :– 0291-2545083 - trcjod291@gmail.com

ट्रेवल एजेन्सी को किराये पर दिये जाने हेतु निविदा एवं शर्ते :–

1. खाली स्थान मय छत का नाप 11X14 वर्गफीट का है जो प्रतिमाह किराये की दर पर दिया जायेगा।
2. जिसका मासिक किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग (शहर वृत), जोधपुर के द्वारा राशि रूपये 10608/– (Minimun) निर्धारित किया गया है।
3. जिसमे प्रतिवर्ष नियमानुसार 05 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जायेगी। नियमानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग (शहर वृत), जोधपुर द्वारा मूल्य निर्धारण करवाया जायेगा। उसी अनुसार किराये में बढ़ोतरी होगी।
4. उक्त खाली स्थान में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नही करेंगे एवं टूटफूट होने पर मरम्मत कर पूर्व स्थिति के अनुसार सुपुर्द करेंगे।
5. उक्त खाली स्थान पर आप द्वारा पक्का निर्माण जिसमें दरवाजे, खिड़कियों का फेरबदल नहीं करेंगे।
6. किसी प्रकार की दुर्घटना, आगजनी, बाढ़, बिजली गिरना, युद्ध व अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आदि से हुये नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी। जिसका किसी प्रकार का कलेम इस विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
7. खाली स्थान का किराया अग्रिम राशि के रूप में प्रतिमाह 01 से 05 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा।
8. उक्त खाली स्थान अधिकतम 05 वर्षों के लिये दिया जायेगा। जिसके बाद पर्यटन मुख्यालय द्वारा पुनः अनुमोदन की कार्यवाही की जायेगी।
9. फर्म को पर्यटन व्यवसाय, ट्रेवल, ऐजेंसी का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
10. ट्रेवल ऐजेन्सी सर्विस टेक्स/जीएस.टी. दाता न्यूनतम 10 वर्ष अनभवी होनी चाहिए।
11. ट्रेवल काउण्टर पर केवल पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के अलावा किसी प्रकार की अन्य गतिविधियां जैसे – कॉरियर सर्विस, पार्सल, बसों व गाडियों की पार्किंग इत्यादि नहीं होनी चाहिए।
12. ट्रेवल ऐजेन्सी के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत इत्यादि नहीं होनी चाहिए।

उप निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय
पर्यटन स्वागत केन्द्र, जोधपुर

C:\Appi\ABBL\Accountant Ji\Misc Letter1.doc

13. किरायेदार/फर्म व विभाग द्वारा खाली स्थान को छोड़ने या खाली करवाने से पुर्व एक माह पहले नोटिस देकर सूचित करेंगे।

14. बिजली कनेक्शन आप द्वारा लिया जायेगा, जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जायेगा।

15. किसी प्रकार की पर्यटकों से लूटपाट, धोखाधड़ी या निर्धारित दर से अधिक मात्रा में राशि प्राप्त करने की शिकायत आने पर आपके खिलाप उचित कार्यवाही की जायेगी एवं अनुबंध रद्द कर उक्त स्थान खाली करवा दिया जायेगा।

16. निहित समय व दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नही की जावेगी।

17. फर्म द्वारा जो दरें निर्धारित फॉर्म के कॉलम में अकिंत की गई वही दरें मान्य होगी। अन्य किसी स्थान पर प्रतिशत अकिंत करने पर मान्य नहीं होगा।

18. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही प्राप्त की जावेगी।

19. सभी प्रकार के टैक्स व समय–समय पर जो भी नियम पारित होगें नियमानुसार लागू होगें वों मान्य होगें।

20. विभाग अधिकतम दर वाली निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है वह निविदा या उसके अंश को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर सकता है।

21. उक्त निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त भी की जा सकती है।

22. पर्यटन मख्यालय, जयपुर के आदेशों की पूर्ण पालना की जायेगी।

भवदीय,

उप निदेशक
पर्यटक स्वागत केन्द्र
जोधपुर।